(1975) 2 SCR 66

धोंडीबा गुंडु पोमाजे और अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

सितम्बर 17, 1974

[पी. जगनमोहन रेड्डी और पी. के. गोस्वामी, जे. जे.]

अभ्यास और प्रक्रिया-उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील-उच्च न्यायालय द्वारा अविलंबित बर्खास्तगी-कारण देने का कर्तव्य।

चूंकि संविधान के तहत उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि एस. सी. आर. 809 से शुरू होने वाले निर्णयों की लंबी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, जो एक शब्द 'खारिज' द्वारा बर्खास्तगी की प्रथा को हतोत्साहित करते हैं, कि उच्च न्यायालय को कुछ कारण देने चाहिए कि अपील याचिका और निचली अदालत के फैसले के अवलोकन पर कोई तर्कपूर्ण मामला क्यों नहीं बनता है। कारणों के अभाव में, यह न्यायालय रिकॉर्ड मँगवाने, पेपर बुक तैयार करवाने, पक्षों को सुनने और साक्ष्य पर

विचार करने के बाद ही बर्खास्तगी को न्यायोचित ठहरा सकता है या अपील की अनुमति दे सकता है। इस प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय पर इस तरह की अपीलों का बोझ होता है और उसे वह करना होगा जो उच्च न्यायालय को करना चाहिए। आगे इस तरह की टालने योग्य देरी के दौरान दोषसिद्धि प्राप्त व्यक्ति को अपने दोषसिद्धि के बारे में संदेह होता है और वह चिंता से ग्रस्त हो जाता है। [66 एच-67 डी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 325/1974

आपराधिक अपील संख्या 305/1974 में बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 अप्रैल, 1974 के फैसले और आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से शरद मंचर, बीपी माहेश्वरी और सुरेश सेठी।

प्रतिवादी के लिए एस. बी. वाड और एम. एन. श्रॉफ।

न्यायालय का निर्णय जगनमोहन रेड्डी, जे. द्वारा सुनाया गया-

हमने अभी विशेष अनुमति, याचिका स्वीकार की है और अपील पंजीकृत होने के बाद पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। यह एक और मामला है जिसमें किसी दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक प्रथम अपील को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 421 के तहत सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया है। हमने दोनों पक्षों को सुना है। राज्य के लिए श्री

वाड ने दृढ़तापूर्वक तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय के पास संक्षेप में खारिज करने की शक्ति है और उन्होंने कई निर्णयों का हवाला दिया है, लेकिन इन सभी मामलों में हम इस मामले में जो दृष्टिकोण अपना रहे हैं उससे भिन्न दृष्टिकोण को उचित ठहराने के लिए कुछ भी विपरीत नहीं है। यह निवेदन किया गया है कि इतने तात्कालिक रूप से खारिज किया गया कि रिकॉर्ड भी नहीं मांगा गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 421 उच्च न्यायालय को किसी अपील को सरसरी तौर पर खारिज करने की शक्ति प्रदान करती है, लेकिन वह ऐसा केवल याचिका के अवलोकन और निर्णय की प्रति के आधार पर ही कर सकती है। चूंकि हमारे संविधान के तहत उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति विशेष अनुमति के लिए अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, यह न केवल आवश्यक है, बल्कि 1953 से शुरू हुए निर्णयों की लंबी श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए भी (1953 एससीआर 809 देखें) जो एक शब्द 'खारिज' द्वारा बर्खास्तगी की इस प्रथा को हतोत्साहित करता है, उच्च न्यायालय को कम से कम कुछ कारण बताने चाहिए थे कि उन दस्तावेजों के अवलोकन पर कोई बहस योग्य मामला क्यों नहीं बनता है। चूँकि हम सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं हैं और हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में तर्कपूर्ण बिंदु उठते हैं जिनके समर्थन में विशेष अनुमति याचिका में दिया गया बयान हमारे समक्ष पढ़ा गया है, इसलिए हम यह कहने की

स्थिति में नहीं हैं कि कोई बहस योग्य मामला नहीं बनता। अगर हमें हाईकोर्ट के आदेश की जरा भी भनक होती तो हम ऐसा कर पाते। कई मामलों में कारणों के अभाव में विशेष अनुमति स्वीकार कर ली जाती है और अपील की सुनवाई के बाद यदि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि दोषसिद्धि वैध है, तो यह माना जाता है कि उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी उचित है। लेकिन हमारे विचार से यह तरीका प्रक्रिया को उलट देता है और इस न्यायालय पर अनावश्यक बोझ डालता है। जो काम उच्च न्यायालय को करना चाहिए था, वह अब इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। रिकॉर्ड मँगवाने, कागज़ी किताबें तैयार करवाने, अपील में दोनों पक्षों को सुनने और सबूतों पर विचार करने के बाद ही यह माना जा सकता है कि कुछ मामलों में बर्खास्तगी, वास्तव में, उचित थी। कई मामलों में तो अपीलें मंजूर भी कर ली गईं।

इस प्रकार लंबे समय तक टालने योग्य देरी होती है जिसके दौरान दोषसिद्धि प्राप्त व्यक्ति को अपने दोषसिद्धि के बारे में संदेह होता है और वह चिंता से ग्रस्त हो जाता है।

हम आशा और विश्वास करते हैं कि इस लंबी अवधि में एक शब्द द्वारा सरसरी तौर पर खारिज करने की प्रथा को अस्वीकार करने वाले निर्णयों की श्रृंखला पर ध्यान दिया जाएगा और इस न्यायालय पर अंततः

सारांश खारिजियों से उत्पन्न होने वाली ऐसी अपीलों का बोझ नहीं पड़ेगा, जो वास्तव में प्रथम दृष्टया उच्च न्यायालय का कार्य है।

तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है। अपील को कानून के अनुसार और ऊपर दिए गए निर्देशों के आलोक में स्वीकार और निपटान के लिए सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है।

वी.पी.एस अपील को अनुमति दी जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अशोक कुमार मीना द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।